HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4054/2025

1. Chittar Kha @ Chittar Khan S/o Samsu Khan, R/o Kayad Ajmer, Civil Lines, Ajmer, Rajasthan.
2. Islamudin Khan S/o Samsu Khan, R/o Chatri Marg, Islampura Ki Dhani, Kayad Ajmer, Civil Lines, Ajmer, Rajasthan.
3. Firoz Khan S/o Abdul Raseed, R/o Thanedar Wali Gali, Kayad Ajmer, Civil Lines, Ajmer, Rajasthan.
4. Sonu Khan S/o Chittar Khan, R/o Civil Lines, Ajmer, Rajasthan.
5. Farukh Khan S/o Abdul Raseed, R/o Civil Lines, Ajmer, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.
2. Abdul Saboor Chisty S/o Abdul Salam, R/o Bara Peer Road, Andar Kot, Ajmer, Dargah, Ajmer, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Pradeep Kumar
For Respondent(s) : Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

14/07/2025

याचिकाकर्तागण की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह याचिका पुलिस थाना– सिविल लाइनस, जिला– अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2025 अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता को रद्द व अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

विद्वान् अधिवक्ता याचिकाकर्तागण का तर्क है कि प्रथमदृष्टया याचिकाकर्तागण के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020565782025/truecopy/order-1.pdf

संहिता में आरोप नहीं बनता है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के दादा से विवादित संपत्ति इकरारनामा के जरिए खरीद की गई थी और उक्त विवादित संपत्ति के संदर्भ में पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया गया था, तदुपरांत याचिकाकर्तागण ने विवादित संपत्ति पर अपना विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है और अपना मकान बनवाया है तथा वर्तमान में भी याचिकाकर्तागण का विवादित संपत्ति पर कब्जा है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त इकरारनामा फर्जी है। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वर्ष 1987 से लेकर अभी तक उक्त विवादित संपत्ति के नामांतरण के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। और नामांतरण की कार्यवाही लगभग 38 वर्ष उपरांत आरंभ की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का विवादित भूमि में नामांतरण हेतु कोई कार्यवाही न करना और नामांतरण दर्ज नहीं होना अपने आपमें यह दर्शित करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र पक्षकारों के मध्य सिविल विवाद को आपराधिक रूप देने हेतु प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि याचिकाकर्तागण द्वारा उक्त इकरारनामा के संदर्भ में उत्तरोत्तर वर्ष 2024 में स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई है और याचिकाकर्तागण उक्त विवादित संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व रखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से संदर्भ में संबंधित अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्तागण के विरुद्ध आगामी आदेश तक कोई दंडात्मक (coercive step) कार्यवाही न करे।

विद्वान लोकअभियोजक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख आया है कि पुलिस द्वारा याचिकाकर्तागण को अब्दुल लतीफ द्वारा निष्पादित इकरारनामा, बेचाननामा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिए गए, परंतु नोटिस के संदर्भ में, मूल इकरारनामा याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस आधार पर प्रकरण में अनुसंधान अभी तक लंबित होना दर्शित किया गया है।

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020565782025/truecopy/order-1.pdf

बहस सुनी गई है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्तागण को पुलिस थाना– सिविल लाइनस, जिला– अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2025 अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता के संबंध में आगामी आदेश तक याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई दण्डात्मक (coercive step) कार्यवाही न करें।

याचिकाकर्तागण को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसंधान में सहयोग करें और जब भी उन्हें अनुसंधान हेतु तलब किया जाए, संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें। याचिकाकर्तागण संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष मूल इकरारनामा व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिसके द्वारा इकरारनामा कूटरचित है या नहीं इस तथ्य के संदर्भ में पुलिस आगामी अनुसंधान करें।

विद्वान् लोक अभियोजक को यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी तिथि को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्रकरण चार सप्ताह उपरांत सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR PRASHAD /74

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020565782025/truecopy/order-1.pdf